-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 07.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों से हुई चोरियों का खुलासा करते हुए अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के करीब 10 लाख रुपए अनुमानित कीमत के 31 मोबाइल फोन, ईयरबड. चेक व नकद रुपए बरामद।**
- ❖ **अभियुक्त द्वारा दिनांक 4/5.03.2026 की रात्रि को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ज्योति नगर व बिजली खेड़ा में दूकानों से चोरी की घटना को दिया गया था अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा शहर क्षेत्र में दूकान में हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 4/05.03.2026 की रात्रि को अज्ञात व्यक्ति द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ज्योति नगर में संतोष विश्वकर्मा मोबाइल के दूकान के शटर का ताला तोड़कर तथा बिजली खेड़ा में दिनेश कुमार प्रजापति के लोहे व सरिये की दूकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों की मदद व संदिग्धों से पूछताछ कर अभियुक्त की पहचान करते हुए मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को छोटा बाइपास के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा चोरी करने की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये करीब 10 लाख रुपए अनुमानित कीमत के 31 मोबाइल फोन, ईयरबड आदि सहित एसबीआई चेक व नकद रुपए बरामद हुए है । बता दें कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी दिनांक 08.03.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में नरैनी रोड KCNIT के पास एक फॉर्म हॉउस में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

बरामदगी-

- ➢ 31 मोबाइल फोन (चोरी के)
- ➢ 02 ईयरबड (चोरी के)
- ➢ 20 हजार 25 रुपए नकद (चोरी के)
- ➢ 01 एसबीआई चेक (चोरी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजू उर्फ पिट्टू/पिट्टी पुत्र रामकिशोर निवासी चांदी पट्टी थाना अजयगढ़ जनपद पन्ना (म0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 117/26 धारा 305/331(4)/317(2)/ 317(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 118/26 धारा 305/331(4)/317(2)/ 317(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजू उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0 323/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री बलराम सिंह प्र0नि0 कोतवाली नगर
2. श्री आशुतोष त्रिपाठी चौकी प्रभारी मण्डी समिति
3. उ0नि0 श्री प्रीत कुमार पाण्डेय
4. म0उ0नि0 सुश्री रश्मि सिंह
5. कां0 सौरभ यादव
6. कां0 सतीश यादव
7. कां0 मनीष शुक्ला